

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8/ज.सं.(नि.)विविध-37/13:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला, तत्कालीन कनीय अभियंता, बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन द्वारा विभागीय आदेश संख्या-6571 दिनांक-16.11.12 द्वारा बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना की प्रतिनियुक्ति को समाप्त करते हुए विभाग में योगदान देने का निदेश दिये जाने के बावजूद श्री शुक्ला द्वारा एक वर्ष से अधिक समय के पश्चात् दिनांक-13.12.13 को विभाग में योगदान दिये जाने के आरोप में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-959 दिनांक-22.05.14 द्वारा श्री शुक्ला के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई।

3. सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला, कनीय अभियंता को उक्त आरोप से आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

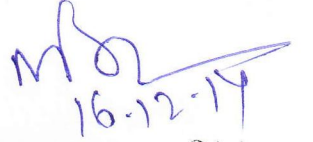
ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 5368

/राँची, दिनांक:- 16-12-14

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल संख्या-03, मानगो, जमशेदपुर/संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला, कनीय अभियंता, लघु वितरणी अवर प्रमण्डल संख्या-4, मानगो जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.12.14

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

16.12.14